सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 25.07.2026

- **सर्राफा व्यापारी से हुई लूट की घटना का सोनभद्र पुलिस ने किया सफल अनावरण पुलिस मुठभेड़ में शातिर लुटेरा घायल, एक अन्य अभियुक्त गिरफ्तार**
- **अभियुक्तों के कब्जे से अवैध देशी तमंचा .315 बोर, जिंदा व खोखा कारतूस, लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं नगदी बरामद-**

प्रकरण का विवरण-

दिनांक 18.07.2026 को वादी कुलधीर कुमार पुत्र स्व0 सीताराम निवासी ग्राम चपकी थाना बभनी जनपद सोनभद्र द्वारा सूचना दी गई कि वह रघुनाथनगर (छत्तीसगढ़) साप्ताहिक बाजार से आभूषण विक्रय कर वापस लौट रहे थे। शाम करीब 06:30 बजे शीशटोला जंगल थाना बभनी क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने ओवरटेक कर उनकी मोटरसाइकिल रोक ली तथा चाकू से हमला कर सोने-चांदी के आभूषण एवं करीब ₹40,000/- नगद से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। जिसके संबंध में थाना बभनी पर **मु0अ0सं0-158/2026** धारा 309(6) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक बभनी द्वारा की जा रही थी।

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** द्वारा अपराध की रोकथाम एवं वांछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) **श्री ऋषभ रुणवाल** एवं क्षेत्राधिकारी दुद्धी **श्री विनय प्रभाकर साहनी** के कुशल पर्यवेक्षण में घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा थाना बभनी एवं थाना म्योरपुर पुलिस के संयुक्त प्रयास से लगातार अथक कार्यवाही करते हुए लूट की घटना का सफल अनावरण किया गया।

मुठभेड़ और गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 25.07.2026 को प्रातः करीब 03:27 बजे मुखबिर खास की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बभनी श्री दिन्नू प्रसाद यादव मय पुलिस टीम एवं थानाध्यक्ष म्योरपुर श्री संतोष कुमार सिंह मय हमराही पुलिस बल के साथ थाना बभनी क्षेत्रान्तर्गत शीशटोला जंगल में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की सघन चेकिंग कर रहे थे।

इसी दौरान रघुनाथनगर (छत्तीसगढ़) की ओर से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास करने पर अभियुक्त मोटरसाइकिल की गति बढ़ाकर मगरमाड़ तिराहे की ओर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा करने पर मगरमाड़ तिराहे से करीब 100 मीटर आगे मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई। अभियुक्त झाड़ियों की ओर भागने लगे, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया गया। इसी दौरान अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें अभियुक्त **रमेश साकेत पुत्र बवई साकेत**

निवासी कनई थाना बरगवां जनपद सिंगरौली (मध्य प्रदेश), उम्र करीब 34 वर्ष के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल/गिरफ्तार हो गया तथा उसके साथी **मनोज साकेत पुत्र रामजी साकेत** निवासी बड़ोखर थाना बरगवां जनपद सिंगरौली (मध्य प्रदेश), उम्र करीब 30 वर्ष को मौके से 03:56 AM पर गिरफ्तार कर लिया गया। तथा कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर, 02 अदद फायरशुदा खोखा कारतूस .315 बोर, 01 अदद पुलिस द्वारा फायर किया गया खोखा कारतूस 9 एमएम, 01 अदद मोटरसाइकिल पैशन प्रो0 काले रंग की नं0 MP66MG4630, कुल नगदी ₹12,200/- बरामद किया गया। **उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2), 109(1) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई।**

अन्य दो वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार तलाश एवं संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में **अभियुक्त रमेश** साकेत द्वारा बताया गया कि उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 18.07.2026 को शीशटोला जंगल में सर्राफा व्यापारी से लूट की घटना कारित की थी। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि घटना की रैकी मनोज साकेत द्वारा की गई थी तथा लूट की रकम में हम चार साथियों को ₹10,000-₹10,000 का हिस्सा मिला था। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में घटना में संलिप्त अन्य साथियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार तलाश एवं दबिश की कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रमेश साकेत पुत्र बवई साकेत
निवासी कनई थाना बरगवां जनपद सिंगरौली (मध्य प्रदेश)
(पुलिस मुठभेड़ में घायल)
02. मनोज साकेत पुत्र रामजी साकेत
निवासी बड़ोखर थाना बरगवां जनपद सिंगरौली (मध्य प्रदेश)

अभियुक्तो का आपराधिक इतिहास का विवरण

01.मनोज साकेत पिता रामजी साकेत-

01. अपराध संख्या- 261/2018, धारा 34(2) आबकारी एक्ट, थाना बरगवां, जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश)।
02. अपराध संख्या- 362/2018, धारा 34(1) आबकारी एक्ट, थाना बरगवां, जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश)।
03. अपराध संख्या- 294/2018, धारा 379 भादवि, थाना बरगवां, जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश)।
04. अपराध संख्या- 480/2018, धारा 392 भादवि, थाना बरगवां, जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश)।
05. अपराध संख्या- 485/2018, धारा 25/27 आर्म्स एक्ट, थाना बरगवां, जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश)।
06. अपराध संख्या- 675/2023, धारा 294, 323, 427, 458, 459, 506, 34 भादवि, थाना बरगवां, जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश)।
07. अपराध संख्या- 430/2024, धारा 294, 323, 506, 34 भादवि, थाना बरगवां, जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश)।
08. अपराध संख्या- 691/2024, धारा 296, 115(2), 126(2), 351(3), 3(5) बीएनएस, थाना बरगवां, जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश)।
09. अपराध संख्या- 829/2024, धारा 296, 324(4), 119(1), 351(3), 3(5) बीएनएस, थाना बरगवां, जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश)।

10. अपराध संख्या- 828/2024, धारा 296, 119(1), 351(3), 3(5) बीएनएस, थाना बरगवां, जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश)।
11. अपराध संख्या- 314/2018, धारा 394, 395, 397 भादवि, थाना जियावन, जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश)।
12. अपराध संख्या- 315/2018, धारा 394, 395, 397, 412 भादवि, थाना जियावन, जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश)।
13. अपराध संख्या- 400/2025, धारा 115(2), 126(2), 309(6), 3(5) बीएनएस, थाना विंध्यनगर, जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश)।

02. रमेश साकेत पुत्र बवई साकेत (पुलिस मुठभेड़ में घायल)

01.अपराध संख्या- 454/2013, धारा 302, 392 भादवि)IPC), थाना बरगवां, जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश)।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर
2. 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर
3. 02 अदद फायरशुदा खोखा कारतूस .315 बोर
4. 01 अदद पुलिस द्वारा फायर किया गया खोखा कारतूस 9 एमएम
5. 01 अदद मोटरसाइकिल पैशन प्रो0 काले रंग की नं0 MP66MG4630
6. कुल नगदी ₹12,200/-

पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक बभनी श्री दिन्नू प्रसाद यादव थाना बभनी जनपद सोनभद्र।
2. थानाध्यक्ष म्योरपुर श्री संतोष कुमार सिंह जनपद सोनभद्र
3. उ0नि0 शिवमूरत यादव थाना बभनी जनपद सोनभद्र।
4. हे0का0 लाला सोनकर, हे0का0 प्रदीप सिंह ,हे0का0 रामआशीष यादव थाना बभनी जनपद सोनभद्र।
5. का0 अजीत कुमार,का0 राजप्रवल थाना म्योरपुर जनपद सोनभद्र।